भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 894

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2022

जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं

894. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विद्युत, स्वास्थ्य सेवाएं, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में गुजरात सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) तथा (ख): सरकार ने 'जनजातीय उप-योजना (टीएसएस को एससीए) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता' की उस समय मौजूदा (पिछली) योजना का 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' नाम से नवीकरण किया है, जिसका उद्देश्य लगभग 4.22 करोड़ आबादी (कुल जनजातीय आबादी की लगभग 40%) घनी जनजातीय आबादी वाले गावों को शामिल करते हुए आदर्श गाँव (मॉडल विलेज) में परिवर्तित करना है। अधिसूचित अजजा वाले राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अजजा व्यक्तियों वाले 36,428 गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अभिसरण दृष्टिकोण के माध्यम से चयनित गांवों का समेकित (एकीकृत) सामाजिक-आर्थिक विकास करना है। इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

i. जरूरतों, संभावनाओं और आकांक्षाओं पर आधारित ग्राम विकास योजना तैयार करना;

ii. केंद्र/राज्य सरकारों की व्यक्तिगत/पारिवार-हितकारी लाभ योजनाओं के कवरेज को अधिकाधिक शामिल करना;

iii. स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पर्कता (कनेक्टिविटी) और जीविकोपार्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना;

इस योजना में विकास हेतु प्रमुख 8 क्षेत्रों अर्थात् सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर गांव / ब्लॉक), दूरसंचार संपर्क (मोबाइल / इंटरनेट), स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, पेयजल सुविधा, जल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अंतरों को कम करने की परिकल्पना की गई है। पीएमएएजीवाई के तहत प्रशासनिक खर्चों सहित निधि अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतरों को पाटने' ('गैप-फिलिंग') के लिए प्रति गांव 20.38 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित गांवों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं की संतृप्ति के लिए केंद्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) निधियों और उनके पास उपलब्ध अन्य वित्तीय संसाधनों जैसे संसाधनों के अभिसरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान लगभग कुल 16554 गांवों को लिया गया है। राज्यों को अब तक, 1927.00 करोड़ रुपये की राशि पहले ही निर्मुक्त की जा चुकी है और 6264 गांवों के संबंध में ग्राम विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि अनुमोदित की जा चुकी है। जहां तक गुजरात राज्य का संबंध है, पीएमएएजीवाई के तहत कुल 3764 गांवों को चिन्हित किया गया है जिनमें से 1562 ग्रामों की ग्राम विकास योजना स्वीकृत की जा चुकी है तथा योजना के तहत गुजरात राज्य को कुल 35318.54 लाख रुपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं। 2021-22 और 2022-23 के दौरान पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित किए गए कुल गांवों, लिए गए गांवों की संख्या और 7.12.2022 को जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

'जनजातीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं' के संबंध में दिनांक 12.12.2022 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर के संबंध में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान पीएमएएजीवाई के तहत चिन्हित कुल गांवों, गांवों की संख्या और निर्मुक्त की गई निधि का राज्यवार विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गांवों की संख्या	2021-22		2022-23 (07.12.2022 तक)	
		गांवों की कुल संख्या	स्वीकृत गांव	कुल निर्मुक्ति	स्वीकृत गांव	निर्मुक्त की गई निधि
1	आंध्र प्रदेश	517	109	0.00	94	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	141	72	733.68	26	0.00
3	असम	1700	858	8743.02	309	10317.37
4	बिहार	184	76	774.44	34	0.00
5	छत्तीसगढ़	4029	1530	15595.8	733	23021.82
6	दादर और नगर हवेली	55	12	0.00	10	173.23
7	गोवा	21	4	0.00	4	0.00
8	गुजरात	3764	1562	15916.78	684	19401.76
9	हिमाचल प्रदेश	90	37	377.03	16	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	302	64	0.00	55	932.39
11	लद्दाख	132	28	0.00	24	407.60
12	झारखंड	3891	819	6531.79	707	6915.28
13	कर्नाटक	507	210	2139.9	92	937.48
14	केरल	6	1	0.00	1	0.00
15	मध्य प्रदेश	7307	1538	12268.76	1329	13542.51
16	महाराष्ट्र	3605	759	0.00	655	13485.495
17	मणिपुर	254	53	427.98	46	295.47
18	मेघालय	836	176	0.00	152	3342.30
19	मिजोरम	344	72	580.83	63	641.97
20	नागालैंड	530	112	886.53	96	681.60
21	ओडिशा	1653	348	2771.68	301	1001.24
22	राजस्थान	4302	906	7224.71	782	15269.66
23	सिक्किम	62	13	0.00	11	0.00
24	तमिलनाडु	167	35	285.32	30	76.12
25	तेलंगाना	533	222	2262.18	97	593.06
26	त्रिपुरा	375	79	631.78	68	904.48
27	उत्तराखंड	64	13	0.00	12	0.00
28	उत्तर प्रदेश	183	39	0.00	33	0.00
29	पश्चिम बंगाल	874	184	0.00	159	2685.06
	कुल	36428	9931	78152.21	6623	114625.895

*****